न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा

पीठासीन अधिकारीः— सन्तोष कुमार गोयल (आर0ए0एस0)
प्रकरण कमांक— 37/2019
व. मु. उन.

1. गंगासिह पुत्र छोटेलाल
2. मुन्नीदेवी पत्नी गंगासिह

कौम गूजर निवासीगण शेखपुरगुर्जर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

-----प्रार्थीगण

बनाम

1. महावीर पि0 चन्दन सिह
2. श्रीकिशन
3. रामबीर
4. रामलखन
5. रामेश्वर
6. केशव पुत्र रामस्वरूप
7. रामनरेश
8. दिलीप

कौम गूर्जर निवासीगण शेखपुरगुर्जर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

----- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –111 सपठित धारा 128 एल0आर0एक्ट 1956

उपस्थिति :—

1. श्री अश्विनी कुमार जैन अभिभाषक प्रार्थीगण

दिनांक :— 17.02.2020

निर्णय

प्रार्थीगणों की ओर से यह प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया गया है कि प्रार्थी सं0 01 गंगासिह आ0ख0नं0 334, 335, 337, 362, 363 बाके ग्राम शेखपुरगुर्जर एवं प्रार्थी सं0 02 मुन्नीदेवी आ0ख0नं0 359,364 बाके ग्राम शेखपुरगुर्जर के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी से अप्रार्थीगणों का किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है, और न कभी रहा है। अप्रार्थीगण सं0 01 लगा0 05 की खातेदारी का खेत ख0नं0 358 एवं अप्रार्थी सं0 6 लगा0 08 की खातेदारी का खं0 नं0 338 हम प्रार्थीगण की खोतदारी के खेतो से लगा हुआ है। जिसकी आड में अप्रार्थीगण हम प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी की सीमा/सीमाचिन्हो/मेढो को नष्ट/खत्म कर देते है तथा झगडा करने को आमादा रहते है। अप्रार्थीगण निहायत लठठबाज, गिरोहबंद, झगडालू व्यक्ति है। प्रार्थीगण उक्त आराजी की मेढ/सीमा के विवाद को स्थाई रूप से खत्म करना चाहते है। इस बाबत पूर्व में कई बार पैमाईश भी हो चुकी है परन्तु फिर भी आज तक विवाद खत्म नहीं हो पाया है तथा तहसीलदार साहब द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही भी नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपनी और अप्रार्थीगण की आराजी ख0न0 338, 358 के मध्य की सीमा निर्धारित कर पुख्ता सीमाचिन्ह निर्धारित कराना चाहते है। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थीगणों द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0नं0 आ0ख0नं0 334, 335, 337, 362, 363 बाके ग्राम शेखपुरगुर्जर एवं प्रार्थी सं0 02 मुन्नीदेवी आ0ख0नं0 359,364 बाके ग्राम शेखपुरगुर्जर की सीमा रेखा निर्धारित करने के बाद मौके पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) प्रार्थीगण के खर्चे पर पुलिस इमदाद से करायी जावे एवं अन्य अनुतोष जो भी न्यायोचित हो प्रार्थीगण को दिलाया जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगणों द्वारा दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 बाके ग्राम शेखपुर गुर्जर, नकल जमाबन्दी ख0नं0 172 सम्वत 2074–77 बाके ग्राम शेखपुर गूर्जर, नकल जमाबंदी खाता सं0 137 सम्वत 2074–77 वाके ग्राम शेखपुरगुर्जर,

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा धौलपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी सं0 01 गंगासिह आ0ख0नं0 334, 335, 337, 362, 363 बाके ग्राम शेखपुरगुर्जर एवं प्रार्थी सं0 02 मुन्नीदेवी आ0ख0नं0 359,364 बाके ग्राम शेखपुरगुर्जर के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी से अप्रार्थीगणों का किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है, और न कभी रहा है। अप्रार्थीगण सं0 01 लगा0 05 की खातेदारी का खेत ख0नं0 358 एवं अप्रार्थी सं0 6 लगा0 08 की खातेदारी का खं0 नं0 338 हम प्रार्थीगण की खोतदारी के खेतो से लगा हुआ है। जिसकी आड में अप्रार्थीगण हम प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी की सीमा/सीमाचिन्हो/मेढो को नष्ट/खत्म कर देते है तथा झगडा करने को आमादा रहते है। अप्रार्थीगण निहायत लठठबाज, गिरोहबंद, झगडालू व्यक्ति है। प्रार्थीगण उक्त आराजी की मेढ/सीमा के विवाद को स्थाई रूप से खत्म करना चाहते है। इस बाबत पूर्व में कई बार पैमाईश भी हो चुकी है परन्तु फिर भी आज तक विवाद खत्म नहीं हो पाया है तथा तहसीलदार साहब द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही भी नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपनी और अप्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 338, 358 के मध्य की सीमा निर्धारित कर पुख्ता सीमाचिन्ह निर्धारित कराना चाहते है। अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि इस प्रकरण में सीमाज्ञान कराया जाकर न्यायालय श्रीमान के माध्यम से पुख्ता सीमा चिन्ह नक्शा अक्श के अनुसार कायम कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है ताकि भविष्य में पुनः सीमा विवाद पैदा नहीं हो एवं शांति बनी रहे। बहस के अन्त में अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0नं0 आ0ख0नं0 334, 335, 337, 362, 363 बाके ग्राम शेखपुरगुर्जर एवं प्रार्थी सं0 02 मुन्नीदेवी आ0ख0नं0 359,364 बाके ग्राम शेखपुरगुर्जर की सीमा रेखा निर्धारित करने के बाद मौके पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) प्रार्थीगण के खर्चे पर पुलिस इमदाद से करायी जावे एवं अन्य अनुतोष जो भी न्यायोचित हो प्रार्थीगण को दिलाया जावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गयी एव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का मुख्य तर्क यह रहा है कि अप्रार्थीगणो ने प्रार्थीगण की उपरोक्त विवादित आराजी के सीमा/मेढो को खुर्द बुर्द कर दिया है तथा कई बार पैमाईश एवं सीमांकन के बाबजूद भी अप्रार्थीगण विवाद की पैदा करते रहत है तथा तहसीलदार राजाखेडा द्वारा पूर्व में की गयी सीमाज्ञान को सही नही मानते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान के प्रार्थाना पत्र की प्रति से पूर्व में सीमाज्ञान कराया जाना सावित है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से भी प्रार्थाना पत्र के तथ्यों की भली भॉती पुष्टी हाती है अप्रार्थीगण बावजूद सूचना इस न्यायालय में हाजिर नही आये नहीं ही उनकी ओर से कोई जबाब प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रार्थाना पत्र के तथ्यों से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिये हम विवाद को समाप्त करने लिये एवं उचित न्याय के लिये प्रार्थीगण का प्रार्थाना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है एवं स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थाना पत्र 128 एल. आर. एक्ट. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार राजाखेडा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0नं0 334, 335, 337, 362, 363, 359, 364 एवं अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 358, 338 बाके ग्राम शेखपुरगुर्जर के मध्य की सीमा/मेढ का सीमाज्ञान कराया जावे तथा मौके पर ही सीमांकन करने के पश्चात पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) प्रार्थीगण के खर्चे पर कराये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजाखेडा को उक्त आदेश की पालना किये जाने हेतु परवाना जारी हो। तहसीलदार राजाखेडा उक्त आदेश की पालना कर रिपोर्ट अविलम्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 17.02.2020 को मेंरे द्वारा खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

सन्तोष कुमार गोयल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

उप खण्ड अधिकारी
राजाखेडा धौलपुर (राज.)